4/6/3 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर। अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 6/7 की तामिल हो चुकी है। बावजूद तामिल हाजिर नहीं हुये। अतः प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 6/7 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी/अप्रार्थी सं. 8 ने जवाब हेतु अवसर चाहा। अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 5/6/13 को पेश हो।

5/6/3 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 10/6/13 को पेश हो। अप्रार्थी सं. 8 की ओर से जवाब पेश करें।

10/6/3 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 20/6/13 को पेश हो।

20/6/3 पत्रावली पेश। अधि० उभयपक्ष हाजिर। बहस आवेदन उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 1/7/13 को पेश हो।

1/7/3 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7/7/13 को पेश है।

7/7/3 पत्रावली पेश। अधि० उभयपक्ष हाजिर। पूर्व पेशी दिनांक 20/6/13 को बहस अधिवक्ता उभयपक्ष आवेदन 151 सीपीसी पर सुनी गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष मुताबिक आवेदन व जवाब आवेदन रही। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से आवेदन 151 सीपीसी इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि ख. नं. 46 उरक्बा 1.59 हैक्टर वाके ग्राम [illegible] के बाबत के सम्बन्ध में उद्घोषणा बाबत वाद प्रस्तुत कर रखा है। विवादित भूमि में से 1/2 हिस्से पर प्रार्थीगण का कब्जा [illegible] और कृषि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले से है। अप्रार्थीगण ने विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

झाबरमल बनाम खेमाराम

151 CPC 54/2025

को जरिये उक्त (एक नुमाईशी) विक्रय-पत्र दिनांक 01/04/2024 को लालचन्द पुत्र कुरड़ा राम अप्रार्थी 6 व 8 के नाम उपपंजीयक कार्यालय सीकर में पंजीकृत करवा दिया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय-पत्र वाद के विचाराधीन रहने के दौरान करवाया गया है जो टी.पी. एक्ट की धारा 52 के प्रावधानों के विपरीत है, तथा अप्रार्थी संख्या 8 उक्त विक्रय-पत्र से जमाबन्दी में प्रविष्टि के आधार पर प्रार्थीगण को विवादित भूमि से बेदखली की धमकी दी जा रही है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करवाया जावे कि वे विवादित भूमि का अन्तरण नहीं करे व प्रार्थीगण को विवादित भूमि से बेदखल नहीं करे। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब आवेदन पेश कर निवेदन किया गया कि पूर्व में मूल वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना-पत्र पेश किया गया था। जिस पर मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत स्थगन जारी किया हुआ है, अतः स्थगन जारी करने का कोई औचित्य नहीं है।

उभय अधिवक्ता उभयपक्ष (जुबानी) बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का व मूल वाद का अवलोकन किया गया। मूल वाद उद्घोषणा के अधिकारों बाबत पेश किया गया है जो कि साक्ष्य व आदेश 0 R 10 cpc के अभाव में निहित है। मूलवाद का निस्तारण उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर किया जाता है। मूल वाद के साथ पेश स्थगन प्रार्थना-पत्र में न्यायालय हाजा द्वारा विवादित भूमि के रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत स्थगन जारी किया हुआ है तथा उक्त स्थगन का अंकन जमाबन्दी में भी किया गया है। अतः आवेदन 151 cpc में स्थगन जारी किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः विवेचना के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन 151 cpc खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नथ्थी मिसल हो, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (राज.)